

कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर (राज.)

क्रमांक: स्था./2026/ 49

दिनांक: 22.09.2026

कार्यालय आदेश

मैं, हरिश मेनारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 सपठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह अक्टूबर से दिसम्बर, 2026 में कॉलम संख्या-2 में अंकित राजकीय अवकाश दिवसों को डूंगरपुर न्यायक्षेत्र की सीमाओं में उत्पन्न होने वाले अत्यावश्यक दाण्डिक प्रकरणों में जमानत, रिमाण्ड, मृत्यु समीक्षा, मृत्युकालीन कथन एवं अन्य आवश्यक दाण्डिक कार्यों की सुनवाई हेतु कॉलम संख्या-3 में अंकित पीठासीन अधिकारीगण को एतद्वारा अधिकृत करता हूँ:-

क्र.स.	दिनांक व अवकाश	न्यायिक अधिकारी
1.	04.10.2026 रविवार 01.11.2026 रविवार 22.11.2026 रविवार 29.11.2026 रविवार	श्री मदनलाल बालोटीया अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागवाड़ा
2.	02.10.2026 गांधी जयन्ति 10.10.2026 द्वितीय शनिवार 11.10.2026 रविवार 24.11.2026 गुरु नानक जयन्ति	श्रीमती आशा चौहान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डूंगरपुर
3.	22 व 23.10.2026 दशहरा अवकाश 24.10.2026 चतुर्थ शनिवार 25.10.2026 रविवार 20.12.2026 रविवार	श्री अनिल चावला न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाड़ा
4.	18.10.2026 रविवार 19 से 21.10.2026 दशहरा अवकाश 12.12.2026 द्वितीय शनिवार 13.12.2026 रविवार	श्रीमती मोनिका धनोल न्यायिक मजिस्ट्रेट, आसपुर
5.	11 से 13.11.2026 दीपावली अवकाश 14.11.2026 द्वितीय शनिवार 15.11.2026 रविवार	श्रीमती पूजा सूर्या न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर
6.	07 से 10.11.2026 दीपावली अवकाश 06.12.2026 रविवार	सुश्री जाह्नवी आहूजा अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट डूंगरपुर

- (1) उक्त रिमाण्ड ड्युटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से डूंगरपुर पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के डूंगरपुर प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 06/पीआई/2008 दिनांक 29.07.08 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्युटी भी उक्त अधिकारी करेंगे। मुख्यालय से बाहर रिमाण्ड ड्युटी के दिन मुख्यालय पर उपस्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रोटोकॉल ड्युटी की जाएगी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

- (2) तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्युटी परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी।
- (3) किसी भी अवकाश के अविलम्ब पूर्व अथवा पश्चात के कार्य दिवस का किसी भी प्रकार से अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश के दिन जिस अधिकारी की रिमाण्ड ड्युटी है, घोषित अवकाश के दिन वहीं अधिकारी पूर्वादेश की निरंतरता में रिमाण्ड, जमानत आदि सभी आवश्यक कार्यों हेतु अधिकृत होगा।
- (4) यदि किसी मुख्यालय पर सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी उपलब्ध हो, तो वे उक्त रिमाण्ड जमानत आदि का कार्य अपने क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में अपने निवास से सम्पादित कर सकेंगे।
- (5) सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु नियत अवकाश दिवस को विशेष रूप से 11.00 एएम से 1.00 पीएम तक अपने न्यायालय में आवश्यक स्टाफ के साथ उपस्थित रहेंगे।
- (6) केवल अपरिहार्य परिस्थितियों या कारणों को छोड़कर, अवकाशकालीन न्यायालय की बैठक हेतु निर्धारित समय के दौरान ही मुलजिम न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश किए जाएंगे।
- (7) डूंगरपुर न्यायक्षेत्र की सीमाओं के अधीन आने वाले आरक्षी केन्द्रों द्वारा विशिष्ट न्यायालयों से संबंधित प्रकरणों में न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले अभियुक्त/अभियुक्तगण के सम्बन्ध में भी नियमानुसार व विधि अनुसार न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा की कार्यवाही अधिकृत अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट न्यायालय ही करेंगे।
- (8) न्यायालय के कार्य दिवस के प्रायिक घण्टों के अवसान के पश्चात् सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी ही अपने न्यायालय के रिमाण्ड व जमानत आवेदनों की सुनवाई करेंगे तथा किसी अधिकारी के मुख्यालय परित्याग की स्थिति में लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी रिमाण्ड व जमानत आवेदनों की सुनवाई करेंगे।

(हरिश्च मेनारिस)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

क्रमांक: स्था./2026/1017-21

दिनांक: 22-09-2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जरिए ई-मेल प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, डूंगरपुर को सादर सूचनार्थ
2. श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश, न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम प्रकरण, न्यायालय/अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डूंगरपुर/सागवाड़ा तथा समस्त अति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट डूंगरपुर न्यायक्षेत्र
3. श्रीमान् सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर
4. पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर को वास्ते सूचित करने समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक, संचित पुलिस लाईन, आरक्षी केन्द्र व पुलिस नियंत्रण कक्ष
5. सहायक निदेशक अभियोजन, डूंगरपुर
6. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, डूंगरपुर/सागवाड़ा/आसपुर/सीमलवाड़ा/बिछीवाड़ा
7. अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह डूंगरपुर/उप कारागृह, सागवाड़ा
8. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, डूंगरपुर को ऑफिशियल वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
9. आदेश/सम्बन्धित पत्रावली

(हरिश्च मेनारिस)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (राज.)
डूंगरपुर